XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

31

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–67/2010

U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

अरूण कुमार पाठक, पिता–स्व0 नागेश्वर पाठक, साकिन–राजेन्द्र नगर, मधुबनी, थाना–के0हाट, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम

1. राज्य ..... विपक्षी संख्या–1
2. अभय कुमार पाठक, पिता–स्व0 नागेश्वर पाठक ..... विपक्षी संख्या–2
3. अजय कुमार पाठक, पिता–स्व0 नागेश्वर पाठक ..... विपक्षी संख्या–3

साकिन–राजेन्द्र नगर, मधुबनी, थाना– के0हाट, जिला–पूर्णियाँ

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–36/2008–09 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–वनभाग, थाना नं0–125, खाता संख्या–140, खेसरा संख्या–2898, 2895, 2899, 2896, 2897, 2900, 2901 से 2909, रकवा–6.79 एकड़ जमीन आवेदक एवं विपक्षी संख्या–2 एवं 3 की माता मालती देवी के नाम से था। पारिवारिक आपसी बंटवारा में उपरोक्त जमीन आवेदक को हिस्से में मिला। तदुपरान्त आवेदक उपरोक्त जमीन का नामान्तरण अपने नाम से करवाकर सरकार को मालगुजारी भुगतान करने लगे। विपक्षी संख्या–2 ने उक्त नामान्तरण के विरूद्ध भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–36/2008–09 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को नजर अन्दाज कर आवेदक के नाम नामान्तरण आदेश को खारिज कर दिया गया। अंचलाधिकारी, कृत्यानन्द नगर द्वारा पारित नामान्तरण आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं थी, फिर भी लम्बे अन्तराल के बाद दायर अपील वाद में आदेश पारित किया गया, जो विधि के अनुकूल नहीं है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर एवं वाद की सुनवाई करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षीगण का कथन है कि यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। निम्न न्यायालय के अपील वाद संख्या–36/2009 में विपक्षी आवेदक था और इस वाद का आवेदक एवं अन्य भाई बहन उदय कुमार पाठक, विजय कुमार पाठक, संजय कुमार पाठक, श्रीमती प्रतिमा ठाकुर, श्रीमती शशि झा, श्रीमती प्रेरणा एवं श्रीमती अपर्णा झा भी विपक्षी थी। लेकिन इस अपील वाद में आवेदक ने सभी को जान–बुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। प्रश्नगत जमीन उभय पक्ष की माता स्व0 मालती देवी ने निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 05.10.1960 एवं 16.08.1960 को खरीदी थी और अपने नाम से नामान्तरण करवाकर मालगुजारी भुगतान कर रही थी। आवेदक सबसे बड़ा भाई है और माँ के स्वर्गीय होने के बाद खेती का काम वही करते थे और घर के मालिक भी वही थे। विपक्षी संख्या–2 एवं 3 ने बड़े भाई (आवेदक) से प्रश्नगत जमीन को बेचने की बात की तो आवेदक ने स्पष्ट किया

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

कि वह जमीन मेरे नाम से है।इस बात को सुनने के बाद विपक्षी अंचल कार्यालय में पता लगाया तो स्पष्ट हुआ कि आवेदक एक पंचनामा के आधार पर जमीन का नामान्तरण करवाया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंचनमा गलत है। साथ ही अंचल कार्यालय ने भी आवश्यक प्रकियाओं का पालन किये बगैर जमीन का नामान्तरण मात्र सात दिनों के अन्दर कर दिया। स्पष्ट है कि आवेदक ने छोटे भाई हिस्से को हड़पने से ऐसा किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के अनुसार है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई किया गया। विपक्षी अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में दिनांक 30.09.2011 को भी सुनवाई हेतु रखा गया था, परन्तु विपक्षी हाजरी देने के बाबजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित पाये गये। इस कारण से उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बाबजूद भी विपक्षी का न्यायालय में उपस्थित नहीं होना स्पष्ट करता है कि इस वाद के निष्पादन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन जमीन के वास्तविक नापी नहीं किया गया है। दोनों पक्ष एक ही व्यक्ति के वारिस है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा वास्तविक दखल–कब्जा संबंधी नापी कराकर तद्नुसार दाखिल–खारिज की स्वीकृति कराने का अनुरोध किया गया है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा आवेदक को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है कि इस वाद को अंचलाधिकारी, कृत्यानन्द नगर को भेजते हुए निदेर्शित किया जाता है कि वे विवादित जमीन का नापी कराकर वास्तविक दखल--कब्जा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे। इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ